

(अमित रावल, जे.)

*माननीय न्यायमूर्ति अमित रावल के समक्ष*

बुद्ध राम और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादी 2009 का सी. डब्ल्यू. पी. No.9435

27 फरवरी, 2017

हरियाणा सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972-(6), 12 (3), 7 और 9-पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट, 1953-अधिशेष क्षेत्र का पुनर्निर्धारण-11 साल के अंतराल के बाद वित्तीय आयुक्त द्वारा स्वतः संज्ञान लेने की अनुमति-एक बार जब निर्धारण अंतिम हो जाता है और अधिशेष निहित हो जाता है और राज्य के पक्ष में परिवर्तित हो जाता है और याचिकाकर्ताओं को आगे आवंटित किया जाता है-भूमि का उपयोग किया जाता है और पुनर्निर्धारण के लिए उपलब्ध नहीं होता है-बसाई गई चीजों को कभी भी अस्थिर नहीं किया जा सकता है-इसके बाद आवंटन को कभी चुनौती नहीं दी गई-आयोजित, पुनर्निर्धारण मनमाना है और अधिकार क्षेत्र के बिना है-आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

यह माना गया कि वित्तीय आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अधिसूचना (अनुलग्नक पी-9), आई. बी. आई. डी. को ध्यान में रखते हुए, जिसमें विभिन्न प्रभागों और जिलों के लिए दो सदस्यों वाली दो पीठों का गठन किया गया था, इस प्रकार, तत्कालीन वित्तीय आयुक्त श्री K.C.Sharma, हरियाणा राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(पैरा 15) ने आगे कहा कि, उपरोक्त निष्कर्षों के अवलोकन से, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अंतिम आदेश के पारित होने के पांच साल बाद स्वतः-प्रेरित शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसे जब भी और जहां भी वह करना चाहता है, उसे पुनरीक्षण प्राधिकरण की इच्छा और इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता है। अन्यथा भी, एक बार जब अधिशेष क्षेत्र के संबंध में मामला पहले ही निर्णय/निर्धारित हो चुका था, तो विवादित आदेशों में दिए गए कारणों, यानी इशर सिंह के एक बेटे के संबंध में, इसे फिर से नहीं खोला जा सकता था। (पैरा 17) ने आगे कहा कि नियत तिथि पर भूमि हरियाणा राज्य में निहित थी, संक्षेप में यह नहीं कहा जा

सकता है कि भूमि का उपयोग नहीं किया गया था, इसलिए भूमि मालिक को पुनर्निर्धारण की मांग करने का अधिकार/अस्तित्व कारण होगा। यहाँ वर्तमान में 640

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

मामले में, अधिशेष क्षेत्र के संबंध में मामला 1995 में समाप्त हो गया। (पैरा 20) ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आवंटन, जैसा कि परिलक्षित होता है, को चुनौती नहीं दी गई है। आवंटन स्वयं भूमि के उपयोग का प्रतिबिंब है। प्रतिवादी यह स्थापित समर्थ के लिए सबूत या दस्तावेजों का कोई अंश रिकॉर्ड पर नहीं ला पाए हैं कि आवंटन केवल एक कागजी लेनदेन था, संक्षेप में यह कि आवंटनकर्ताओं को उपयोग में लाया गया था या नहीं।

(पैरा 22)

अरुण जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता

अजय जैन, अधिवक्ता

सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के लिए।

गोपाल शर्मा, अधिवक्ता

सी. ओ. सी. पी. में याचिकाकर्ता के लिए।

संदीप सिंह मान, Sr.DAG, हरियाणा, राज्य के लिए। सरवन सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

निजी प्रतिवादी के लिए Mr.N.S.Rapri, अधिवक्ता के साथ।

**अमित रावल, जे।**

(1) इस आदेश द्वारा, मैं 2009 की 9437 से 9439, 9454, 9455, 9456 वाली सात सिविल रिट याचिकाओं और 2011 की एक सी. ओ. सी. पी. को निपटाने का इरादा रखता हूँ क्योंकि इन सभी मामलों में कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न शामिल हैं। तथ्य 2009 के सी. डब्ल्यू. पी. No.9435 से लिए जा रहे हैं।

(2) याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 2-वित्तीय आयुक्त और सरकार हरियाणा के प्रधान सचिव, राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग, प्रतिवादी संख्या 3, यानी निर्धारित प्राधिकरण-सह-उप-मंडल अधिकारी (नागरिक), रेवाड़ी के 31.10.2008 और 18.4.2009 (अनुलग्नक P-7 और P-8) द्वारा पारित दिनांक 28.8.2006 (अनुलग्नक P-6) को चुनौती दी है।

(3) Mr.Arun जैन, सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता Mr.Ajay जैन की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान रिट याचिकाओं में शामिल विवाद की सराहना करने के लिए, 28.8.2006 से पहले हुई चीजों की स्थिति का उल्लेख करना उपयुक्त होगा। रिट याचिकाओं से सामने आई दलीलों और तथ्यों के अनुसार, भूमि मालिक, हरियाणा राज्य सिंह के अधिशेष क्षेत्र का निर्णय पंजाब प्रतिभूति भूमि कार्यकाल अधिनियम, 1953 के तहत किया गया था।

641

(अमित रावल, जे.)

“पंजाब अधिनियम) और उनकी हिस्सेदारी का एक हिस्सा, जिसमें 114 कनाल, 12 मरला, 975 कनाल, 1 मरला, शामिल था, अधिशेष घोषित किया गया। इशर सिंह द्वारा उपरोक्त आदेश को अधिशेष निर्धारित प्राधिकरण (राजस्व) के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें इस आधार पर पंजाब आदेश और हरियाणा अधिकतम भूमि धारक आदेश, 1972 (संक्षेप में "हरियाणा आदेश") के लागू होने से क्षेत्र को छूट देने की मांग की गई थी कि हरियाणा आदेश के आदेश के तहत आवेदन/घोषणा पत्र प्रस्तुत किए गए थे, जो बहुत पहले वर्ष 1978 में तय किए गए थे, लेकिन तथ्य यह रहा कि भूमि भूमि मालिकों के कब्जे में बनी रही और उसका उपयोग नहीं किया गया था, इसलिए निर्धारित प्राधिकरण ने उन्हें एक बड़े भूमि मालिक के रूप में घोषित नहीं किया क्योंकि उनके कब्जे वाला क्षेत्र अनुमेय सीमा के भीतर था, संक्षेप में अधिशेष के रूप में भूमि की घोषणा एक कागजी लेनदेन था। निर्धारित प्राधिकरण, दिनांक 22.5.1990 (अनुलग्नक पी-1) के आदेश के माध्यम से, कानून के प्रावधानों को नोटिस करने के बाद, यह अभिनिर्धारित किया कि हरियाणा आदेश की खंड 12 (3) के प्रावधानों के अनुसार अधिशेष क्षेत्र पहले से ही निर्धारित तिथि पर हरियाणा राज्य में निहित था, यानी 24.1.1971 और इसका उत्परिवर्तन हरियाणा राज्य के नाम पर दर्ज किया गया था और इसलिए, किसी भी क्षेत्र को अधिशेष से छूट देने के अधिकार को अस्वीकार कर दिया गया था। (4) उपरोक्त आदेश पर इशर सिंह भूमि मालिक द्वारा जिला रेवाड़ी के कलेक्टर के समक्ष अपील दायर करके हमला किया गया था, जिन्होंने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से यह कहते हुए अपील को खारिज कर दिया कि अधिशेष घोषित होने के बाद भूमि का उपयोग पहले ही किया जा चुका है और हरियाणा राज्य में निहित है। अपील में सफलता प्राप्त करने में विफल रहने के बाद, इशर सिंह/एल. आर. और अन्य संबंधित व्यक्तियों ने आयुक्त के समक्ष एक पुनरीक्षण दायर किया, जिसे दिनांक 2 के आदेश के माध्यम से भी खारिज कर दिया गया था और वित्त आयुक्त, हरियाणा के समक्ष दूसरा पुनरीक्षण भी उसी भाग्य के साथ हुआ, जहां यह भी पाया गया कि भूमि का उपयोग पहले से ही प्रचलित कानून के अनुसार आवंटनकर्ताओं

को बेचकर किया गया था और इसलिए, भूमि के अधिशेष होने की घोषणा को फिर से खोलने का कोई अवसर नहीं था और मामला 1994 की सिविल रिट याचिका (इशर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) के माध्यम से इस अदालत तक भी पहुंचा और इस अदालत ने दिनांक 1 (अनुलग्नक पी-5) के आदेश के माध्यम से इसे खारिज कर दिया। Mr. Jain आगे प्रस्तुत करता है कि मामला 1995 में यहाँ था। 1963 से शुरू होने वाले आबंटियों, भूमि, कब्जे की तारीख और रिपोर्ट रोजनामचा का विवरण रिट याचिका के पैरा 3 में निकाला गया है, जो नीचे दिया गया है:

- 642

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

एस. नहीं।	क्षेत्र के-एम	एल्लोटी का नाम	कब्जे की तारीख और रिपोर्ट रोजनामचा नं।
1	24-0	शिव लाल एस/ओ राम नारायण	14.07.63 450
2	16-0	सुरजन एस/ओ मंगलिया	20.06.63 410
3	18-8	बानी सिंह एस/ओ मंगल	14.07.63 -
4	16-0	तिर्का एस/ओ रामजी लाल	14.07.63 451
5	24-0	कुदिया एस/ओ बद्री	14.07.63 449
6	24-0	बदलू एस/ओ झब्बू	23.11.63 -
7	24-0	पोलिया एस/ओ उमराव	20.06.63 408
8	16-0	राम कुमार पुत्र किशन लाल	25.05.63 364
9	22-0	रतन एस/ओ लिलू	25.05.63 357

10	24-0	चुन्नी लाल पुत्र राम चंदर	25.05.63 368
11	24-0	राम सरूप एस/ओ समा	25.05.63 370
12	24-0	जगगन एस/ओ गुगन	25.05.63 369

(5) उन्होंने आगे कहा कि आदेश, पी-5 के अनुलग्नक पी-1 ने अंतिमता प्राप्त की और इस अदालत सहित सभी प्राधिकरणों द्वारा यह समवर्ती रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि पंजाब अधिनियम के तहत अधिशेष घोषित भूमि में इशर सिंह भूमि मालिक का कोई अधिकार, स्वामित्व और हित नहीं था। इशर सिंह के उत्तराधिकारी, रिट याचिका (अनुलग्नक पी-5) को खारिज करने की तारीख से ग्यारह साल की अवधि के बाद, वित्त आयुक्त-प्रत्यर्थी संख्या 2 से संपर्क किया, जिन्होंने प्रशासनिक पक्ष से स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि अधिशेष भूमि के संबंध में गणना सही नहीं थी और इशर सिंह के पुत्र दलीप सिंह की आयु लगभग 55 वर्ष हो सकती है और इसलिए, अपने अधिकार का ध्यान नहीं रखने के कारण, मामले की फिर से जांच की आवश्यकता थी और इस प्रकार, अनुमेय क्षेत्र के संबंध में पूरी प्रक्रिया को फिर से खोलने का आदेश दिया, जिसके लिए दलीप सिंह घोषणा पत्र दाखिल करने के समय हकदार थे। उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान दिनांकित 28.8.2006 के आदेश की ओर आकर्षित किया है। उसी का सक्रिय भाग इस प्रकार है:-

“उपायुक्त मोहिंदरगढ़ ने संदर्भ दिनांक 15.09.1988 को No.67-68/368 के माध्यम से भेजा, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि 24.01.1971 पर, भूमि मालिक के पास भूमि बुद्रम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य थे।

643

(अमित रावल, जे.)

1289 कनाल 08 मरला जिसमें से 975 कनाल 1 मरला को पंजाब अधिनियम, 1953 के तहत अधिशेष घोषित किया गया था और 307 कनाल 14 मरला भूमि बची हुई थी। उत्परिवर्तन No.813 के माध्यम से, 594 कनाल 16 मरला राज्य में निहित किया गया है। अगर हम गणना करें, तो भूमि मालिक को 975 कनाल 17 मरला-594 कनाल 16 मरला-380 कनाल 5 मरला का अतिरिक्त लाभ दिया गया था और घोषणा पत्र घोषित करने के समय कोई आयु प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था और मामले को स्वतः कार्रवाई करने के लिए भेजा गया था। इस सिफारिश में जिला अदालत मोहिंदरगढ़ ने सूचित किया है कि अधिशेष कलेक्टर ने भूमि मालिक की 975 कनाल 1 मरला भूमि को अधिशेष घोषित किया था,

जिसकी जांच की जानी चाहिए। कानूनगो अधिशेष की रिपोर्ट के अनुसार, सिंह पुत्र ईश्वर सिंह की आयु लगभग 55 वर्ष है और वह नियत दिन पर वयस्क हो सकता है और इस मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने की आवश्यकता है कि अधिशेष में भूमि मालिक की सही भूमि को छीन लिया जाए और भूमि मालिक को सही अनुमेय क्षेत्र की अनुमति दी जाए, जिसके लिए वह अपना घोषणा पत्र दाखिल करते समय हकदार था। इसलिए, पी. सी./कलेक्टर अधिशेष रेवाड़ी को निर्देश दिया जाता है कि वे तीन महीने के भीतर सरपंच/लम्बरदार/चौकीदार या गांव के सम्मानित व्यक्ति या कानून के अनुसार किसी अन्य साक्ष्य से <आई. डी. 1] पर दलीप सिंह की उम्र का प्रमाण लेने के बाद इस मामले पर नए सिरे से निर्णय लें।”

(6) उपरोक्त आदेश आबंटियों की अनुपस्थिति में में पारित किया गया था, जिनके अधिकार और हित गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित थे और यह प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों के खिलाफ भी था।

(7) उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा अधिनियम की खंड 18 (6) के तहत स्वतः संज्ञान कार्यवाही का अभ्यास इस आधार पर टिकाऊ नहीं है कि अधिसूचना दिनांक 1 (अनुलग्नक पी-9) को देखते हुए, विभिन्न जिलों से संबंधित मामलों से निपटने की शक्ति केवल दो अधिकारियों वाली दो पीठों को दी गई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

“हरियाणा वित्तीय आयुक्त (व्यवसाय वितरण) नियम, 1975 के नियम 5 के साथ पठित पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 की खंड 7 की उप खंड (2) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल ने अपीलों से संबंधित हरियाणा राज्य के सभी अधिशेष मामलों की सामूहिक रूप से सुनवाई करने और निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित वित्तीय आयुक्तों की दो पीठों का गठन किया है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

अधिनियम के तहत संशोधन और आवेदन:-

Sr.No। एफ. सी. का नाम प्रभाग का नाम 1 आवंटित करें। प्रथम पीठ i) Sh.S.P.Sharma, IAS

ii) Sh.K.S.Bhola, IAS

हिसार और गुड़गांव संभागों के जिलों के साथ-साथ अन्य एफ. सी. के पास लंबित सभी पुराने मामले

2. 2 द्वितीय पीठ i) Sh.R.N.Prasher, IAS

ii) Sh.N.Bala भास्कर, आई. ए. एस.

अंबाला और रोहतक संभागों के जिलों के साथ-साथ अन्य एफ. सी. में लंबित सभी पुराने मामले

(8) अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने समपुरान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए अनुपात निर्णय पर भरोसा किया।

सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 1 का तर्क है कि

हरियाणा अधिकतम सीमा अधिनियम की धारा 7 और 9 पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा अधिनियम के तहत घोषित अधिशेष क्षेत्र को फिर से खोलने और पुनः गणना द्वारा समायोजित करने की अनुमति नहीं देती है। भले ही हरियाणा में अधिशेष भूमि को भूमि मालिक के कब्जे में रहने की अनुमति दी गई हो, लेकिन स्वामित्व राज्य में कट ऑफ तिथि से सभी बाधाओं से मुक्त था, यानी 23.12.1972। उन्होंने इस न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया

उजागर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2 से

यह तर्क देते हुए कि आवंटन के समय सुनवाई का अवसर नहीं देने के मामले में भूमि मालिक की ओर से उठाई गई याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था, संक्षेप में भूमि मालिक को कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं थी जब सरकार ने आवंटन द्वारा भूमि देने का निर्णय लिया था। धरम पाल में इस न्यायालय की खण्ड पीठ का भी यही दृष्टिकोण है और

अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 3 स्वतः-प्रेरित शक्तियाँ भी

ग्यारह साल के अंतराल के बाद नहीं लिया जा सकता है। इस प्रश्न पर इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा लातूर सिंह मामले में बहस की गई थी और

अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 4। बहुत जोर दिया गया है

पैराग्राफ 9 से 12 पर रखा गया है। (9) अधिकारियों के समक्ष दिए गए उपरोक्त आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं हैं। नीचे के अधिकारी यह समझने में विफल रहे कि भूमि की घोषणा के संबंध में मामला

1 1994 पीएलजे 267

2 2012 (3) आरसीआर (सिविल) 960

3 2002 (1) पीएलजे 188

4 2016 (4) आर. सी. आर (सिविल) 16 बुधराम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

645

(अमित रावल, जे.)

अधिशेष को 1995 में, यानी 30.1.1995 पर आराम दिया गया था, जब इशर सिंह का उत्तराधिकारी इस अदालत में सफल नहीं हुआ था। उन्होंने 1994 के सी. डब्ल्यू. पी. No.1368 (इशर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) में एस. डी. ओ. (सी), रेवाड़ी की ओर से दायर लिखित बयान, संलग्नक पी-11 पर भी भरोसा किया, जिसमें सभी व्यक्तियों के नाम, जिन्हें भूमि आवंटित की गई है, का उल्लेख किया गया है। 2009 के सी. डब्ल्यू. पी. No.9456 में, शिव लाल, बुद्ध राम और मंगलू के पक्ष में जारी आवंटन प्रमाणपत्रों (पी-12 के लिए अनुलग्नक पी-10) का संदर्भ दिया गया है और इस प्रकार, इस बात पर जोर देते हुए तर्कों का समापन किया गया है कि चूंकि अधिशेष क्षेत्र राज्य में निहित था, इसलिए अनुमेय क्षेत्र के पुनर्निर्धारण के मामले को फिर से नहीं खोला जा सकता है।

(10) इसके विपरीत, निजी प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता श्री एन. एस. रापरी की सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता सिंह ने कहा कि एक बार पुराने अधिनियम 1953 के तहत प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, पुराने अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे, संक्षेप में याचिकाकर्ताओं के पास विवादित आदेशों को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, जिसके तहत वित्तीय आयुक्त ने स्वतः संज्ञान लिया है। ऐसा केवल राज्य ही कर सकता है। अपने तर्क के समर्थन में, दिनांक 31.10.2008 (अनुलग्नक पी-7) के आदेश पर भरोसा किया, जिसके अनुसार वित्त आयुक्त और सरकार के वित्तीय सचिव द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान के अनुसरण में, एसडीओ (सी) ने अधिशेष रिकॉर्ड के अवलोकन पर और जिला अटॉर्नी की राय प्राप्त करने के बाद कहा कि शिवोजी सिंह के बेटे इशर सिंह के पास 24.1.1971 पर 1462 कनाल 8 मरला भूमि थी और जिसमें से 1254 कनाल 1 मरला भूमि खेती योग्य थी, जबकि 208 कनाल 7 मरला गैर मुमकीन थी। खेती योग्य भूमि में से 161 कनाल 9 मरला डोह्लिदारन के पास और 4 कनाल 12 मरला भोंडेदारन के पास था और इसलिए, भूमि मालिक का कुल क्षेत्रफल 1088 कनाल हो गया, संक्षेप में वित्तीय आयुक्त के आदेश को लागू किया गया था और इसलिए, रिट याचिकाएं बनाए रखने योग्य नहीं हैं। आवंटन पत्रों में बुध राम का कोई नाम



नहीं है। (11) उन्होंने आगे कहा कि आबंटियों को आवंटित भूमि, जिन्होंने बाद में उसे विक्रेताओं को बेच दिया है, को अधिशेष घोषित भूमि से नहीं जोड़ा जा सकता है, इस प्रकार, अधिशेष क्षेत्र के पुनर्निर्धारण के संबंध में याचिकाकर्ताओं की कोई हिस्सेदारी नहीं है। प्रतिवादी Nos.4 से 12 तक के पूर्ववर्ती इशर सिंह की भूमि पर तत्कालीन निर्धारित प्राधिकरण, रेवाड़ी द्वारा अधिशेष कार्यवाही के तहत विचार किया गया था और राजस्व रिकॉर्ड पर उचित विचार करने के बाद, उन पर अंततः 18.8.1978 के आदेश द्वारा निर्णय लिया गया था (अनुलग्नक आर -1), जहाँ भूमि को अधिशेष पूल से बाहर रखा गया था। उक्त आदेश में 646 थे

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

इसे अंतिम रूप दिया गया क्योंकि इसके खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई थी और इसलिए, न तो हरियाणा राज्य और न ही किसी अन्य निकाय को ईशर सिंह की भूमि में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार है। केवल राजस्व अधिकारी की ओर से कुछ अनियमितताओं और गलतियों के कारण, कुछ भूमि के परिवर्तन को राज्य के पक्ष में मंजूरी दी गई थी, जिसे निर्धारित प्राधिकरण द्वारा आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी-7 और पी-8 के माध्यम से उचित रूप से निर्धारित किया गया है, इस प्रकार, अधिशेष कार्यवाही में इशर सिंह के खिलाफ पारित 18.8.1978 (अनुलग्नक आर-1) के आदेश को देखते हुए 22.5.1990 (अनुलग्नक पी-1) का आदेश टिकाऊ नहीं है।

(12) उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा राज्य के पक्ष में उत्परिवर्तन को प्रभावित करने के संबंध में इशर सिंह या उनके उत्तराधिकारियों को कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया था और उनके तर्क को पुष्ट करने के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांकित 27.8.1996 आदेश का उल्लेख किया गया है।

### **1995 की सिविल अपील No.10549 (सावंत सिंह बनाम राज्य**

), (अनुलग्नक आर-2/4) उसी गाँव के संबंध में यह तर्क देने के लिए कि एक बार हरिअन्यणा अधिनियम के तहत यह अभिनिर्धारित किअन्य जाता है कि भूमि मालिक के पास ऐसा अधिशेष क्षेत्र नहीं है, इसलिए, पंजाब अधिनियम के प्रावधानों को लागू करके राज्य के पक्ष में उत्परिवर्तन दर्ज नहीं किअन्य जा सकता था। उनके तर्क के समर्थन में, इस नून्यअन्यलय द्वारा भूपिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य 5 मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किअन्य गअन्य, जिसमें यह अभिनिर्धारित किअन्य गअन्य है कि अधिशेष क्षेत्र में आवंटी अन्य किरायेदार आवश्यक पक्ष नहीं हैं। उन्होंने फैसले पर भी भरोसा किया

## दरबार सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और

अन्य 6 का तर्क है कि केवल आवंटनकर्ता को कब्जे में रखने से, आवंटन पूरा नहीं होता है। जब आवंटित व्यक्ति धारा 10 ए और नियम 18,20-ए, 20-बी और 20-सी के अनिवार्य प्रावधानों को पूरा करता है और उनका पालन करता है, तभी आवंटन पूरा होता है। रंजीत राम बनाम द फाइनेंशियल मामले में इस अदालत की पूर्ण पीठ पर भी भरोसा किया गया।

आयुक्त, राजस्व, पंजाब और अन्य 7 ने तर्क दिया कि

भूमि मालिक, जिसकी भूमि को 1953 के अधिनियम या पेप्सू किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1955 के तहत अधिशेष घोषित किया गया है और जिसे पंजाब भूमि सुधार अधिनियम लागू होने से पहले अधिशेष क्षेत्र के स्वामित्व से वंचित नहीं किया गया है, वह भूमि मालिक पंजाब भूमि सुधार अधिनियम की खंड 5 (1) के साथ पठित खंड 4 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार और अपने प्रत्येक वयस्क बेटे के लिए अनुमेय क्षेत्र का चयन करने का हकदार है और इसलिए वित्तीय आयुक्त द्वारा अनियमितता और 5 1980 पी. एल. जे. 72 को सुधारने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए शक्तियों का प्रयोग करता है।

6 1989 पीएलजे 85

7 1981 पी. एल. जे. 259 बुधराम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

647

(अमित रावल, जे.)

गलत गणना, जिसे विकृत नहीं कहा जा सकता है, बल्कि कानून की नजर में टिकाऊ है।

(13) खंडन में, Mr.Jain ने पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया है

सरदार सिंह और अन्य बनाम द फाइनेंशियल में प्रस्तुत

आयुक्त और अन्य 8, जिसमें पूर्ण पीठ ने 1953 के आदेश और साथ ही भूमि सुधार आदेश, 1972 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कहा कि एक बार अधिशेष क्षेत्र को राज्य सरकार के पक्ष में परिवर्तित कर दिया गया था और निजी व्यक्तियों को आवंटित कर दिया गया था, उसके बाद भूमि मालिक के आवेदन पर रिश्तेदार की मृत्यु या अपने बेटे के हिस्से का निर्धारण न करने के कारण पुनः निर्धारण के लिए प्रस्तुत किया गया था, मामले को फिर से नहीं खोला जा सकता है क्योंकि कलेक्टर का आदेश अंतिम हो गया था।

(14) मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है, पेपर बुक का मूल्यांकन किया है और इस विचार से अवगत कराया है कि Mr.Jain की प्रस्तुतियों में बल और योग्यता है।

(15) अभिलेख पर मौजूद तथ्यों से पता चलता है कि अधिशेष/अनुमेय क्षेत्र के पुनर्निर्धारण से संबंधित मामले ने संलग्नक पी-1 से संलग्नक पी-5, यानी इस न्यायालय तक अंतिम रूप प्राप्त कर लिया था। इस न्यायालय में निर्धारण के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या ग्यारह वर्षों के अंतराल के बाद, वित्तीय आयुक्त द्वारा स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से अधिसूचना (अनुलग्नक पी-9), आई. बी. आई. डी. को देखते हुए, जिसमें विभिन्न प्रभागों और जिलों के लिए दो सदस्यों वाली दो पीठों का गठन किया गया था, इस प्रकार, हरियाणा राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के तत्कालीन वित्तीय आयुक्त श्री आई. डी. 1 के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(16) लातूर सिंह के मामले में (ऊपर), यह न्यायालय लोकू में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए

राम बनाम हरियाणा राज्य 9 निम्नानुसार आयोजित:-

“9. वर्तमान याचिका में शामिल कानूनी मुद्दा यह है कि क्या आदेश पारित होने के 11 साल बाद भी वित्त आयुक्त द्वारा आदेश की खंड 18 (6) के तहत स्वतः-प्रेरित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, भले ही उस शक्ति के प्रयोग के लिए आदेश में कोई समय सीमा निर्धारित न हो। इस मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संतोष कुमार शिवगोंडा पाटिल और अन्य के मामले (उपरोक्त) में विचार किया गया था। यह एक मामला था जिसके तहत

8 2008 (2) आर. सी. आर (सिविल) 744

9 2000 (1) आर. सी. आर (सिविल) 141 648

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 (संक्षेप में, 'संहिता')। वर्ष 1976 में अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ वर्ष 1993 में स्वतः-प्रेरित शक्ति का प्रयोग करने की मांग की गई थी। संहिता की खंड 257 के तहत स्वतः-प्रेरित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णयों का उल्लेख करते हुए

**गुजरात राज्य बनाम पाटिल राघव नाथ, (1969) 2 एस. सी. सी. 187; मोहम्मद। कवि मोहम्मद अमीन बनाम फतमाबाई इब्राहिम, ((1997) 6 एस. सी. सी. 71 और पंजाब**

## राज्य बनाम भटिंडा जिला सहकारी समिति। दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, 2007 (6) हाल के शीर्ष निर्णय (आर. ए. जे.) 158:(2007) 11 एस. सी. सी. 363, यह राय दी गई थी

कि भले ही कोई अधिनियम पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसका प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है। इसका उचित समय के भीतर उपयोग किया जाना चाहिए। लंबे समय के बाद तय की गई चीजों को अस्थिर नहीं किया जा सकता है। उस मामले में, उचित समय तीन साल माना जाता था। 17 वर्षों के बाद सत्ता के प्रयोग को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना गया।

इसके प्रासंगिक पैराग्राफ 16 को नीचे निकाला गया है:

"16. यह उचित रूप से तय प्रतीत होता है कि यदि कोई अधिनियम पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है; बल्कि इसका उपयोग उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून यह उम्मीद नहीं करता है कि एक लंबे समय के अंतराल के बाद एक सुलझी हुई चीज़ अस्थिर हो जाएगी। जहां विधायिका किसी भी अवधि के लिए प्रावधान नहीं करती है जिसके भीतर प्राधिकरण द्वारा संशोधन की शक्ति का प्रयोग किया जाना है, स्वतः या अन्यथा, यह स्पष्ट है कि उचित समय के भीतर ऐसी शक्ति का प्रयोग स्वप्रेरणा है। आम तौर पर, महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता की खंड 257 के तहत संशोधन की शक्ति का प्रयोग करने की उचित अवधि तीन साल होगी, निश्चित रूप से, किसी दिए गए मामले में असाधारण परिस्थितियों के अधीन, लेकिन निश्चित रूप से 17 साल के अंतराल के बाद पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग एक उचित समय नहीं है। महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता की खंड 257 के तहत उप-मंडल अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण शक्ति का आह्वान स्पष्ट रूप से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रक्रिया का दुरुपयोग है, यह मानते हुए कि तहसीलदार का आदेश त्रुटिपूर्ण है और कानूनी रूप से सही नहीं है।

उल्लेखनीय है कि तुकाराम सखाराम शेवाले ने अपने बजट और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के दौरान

649

(अमित रावल, जे.)

आजीवन ने कभी भी तहसीलदार, शिरोल के आदेश की वैधता और शुद्धता को चुनौती नहीं दी, हालांकि यह 30.3.1976 पर पारित किया गया था और वह 1990 तक जीवित थे। यह प्रतिवादी 1 से 5 के मामले में भी नहीं है कि तुकाराम को दिनांकित 30.3.1976 आदेश के बारे में पता नहीं था। उप-मंडल अधिकारी द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि 30.3.1976 दिनांकित आदेश धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के बाद राज्य में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने

हरियाणा और अन्य बनाम चांदगी राम (ऊपर), जहाँ

11 साल के बाद पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए पारित आदेश को गलत माना गया।

11. इस मुद्दे पर बाद में इस अदालत द्वारा विचार किया गया था

चांदगी राम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, जहां स्वतः -

आदेश पारित होने के 11 साल बाद मोटर शक्ति का प्रयोग करने की मांग की गई थी। यह राय दी गई थी कि स्वतः-प्रेरित शक्ति के प्रयोग को जब भी और जहां भी वह ऐसा करना चाहता है, संशोधन प्राधिकरण की सनक और इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता है। इसी तरह का प्रभाव पूरन सिंह के मामले (ऊपर) में इस अदालत का फैसला है।

12. ऊपर वर्णित कारणों से, वर्तमान मामले में वित्तीय आयुक्त द्वारा निर्धारित प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित करने के 11 वर्षों के बाद स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग किया गया है, इसे उचित और कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं कहा जा सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश पूर्वाग्रह के सिद्धांत पर गलत हो गए थे, जिसे बस लागू नहीं किया जा सकता है और एक आदेश, जिसे अन्यथा कानूनी रूप से बनाए नहीं रखा जा सकता है, को केवल उसी आधार पर बरकरार रखा जा सकता है। बहुत पहले 1981 में जो चीजें तय हो गई थीं, उन्हें सुलझाया नहीं जा सका। किसी तीसरे पक्ष के हित में कोई कदम नहीं उठाया गया है, क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि भूमि हालांकि शुरू में अधिशेष घोषित की गई थी, लेकिन किसी को भी आवंटित नहीं की गई थी और अपीलार्थी पूरे समय कब्जे में भी रहे।”

(17) उपरोक्त निष्कर्षों के अवलोकन से, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अंतिम आदेश पारित होने के पांच साल बाद स्वतः-प्रेरित शक्ति का उपयोग करने की मांग की गई थी, जिसे जब भी और जहां भी वह करना चाहता है, संशोधन प्राधिकरण की सनक और इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता है। अन्यथा भी, एक बार जब अधिशेष क्षेत्र के संबंध में मामला पहले ही निर्णय/निर्धारित हो चुका था, तो विवादित आदेशों में दिए गए कारणों के कारण इसे फिर से नहीं खोला जा सकता था, अर्थात् 650।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

इशर सिंह के एक पुत्र के संबंध में।(18) सरदार सिंह के मामले (ऊपर) में, पूर्ण पीठ ने निम्नानुसार निर्णय दिया:-

“39. हम अजमेर कौर के मामले (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय के फैसले की सहायता ले सकते हैं, जहां खंड 11 (7) में उपयोग किए गए वाक्यांश "कलेक्टर द्वारा निर्धारित" को इस अर्थ में पढ़ा गया था कि कलेक्टर के आदेश ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया था। उस मामले में कलेक्टर का आदेश 1976 में पारित किया गया था जब भूमि को अधिशेष घोषित किया गया था। 1979 में अपील खारिज कर दी गई थी। इसके बाद, अतिरिक्त भूमि को 1982 में राज्य सरकार के पक्ष में परिवर्तित कर दिया गया और 1983 में निजी व्यक्तियों को आवंटित कर दिया गया। भूमि मालिक ने अपनी पत्नी की मृत्यु के मद्देनजर 1985 में पुनर्निर्धारण के लिए एक आवेदन दायर किया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 1979 में कलेक्टर द्वारा निर्णय अंतिम हो गया था और 1985 में इसे फिर से नहीं खोला जा सकता था।”

(19) जंगा बनाम जोरा सिंह 10 और साथ ही सम्पूरन सिंह के मामले (उपरोक्त) में भी यही दृष्टिकोण है। सम्पूरन सिंह के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त प्रासंगिक निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-

“2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बंसल ने दोहरे विवाद उठाए। सबसे पहले उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि भूमि, हालांकि अधिशेष घोषित की गई है, अपीलकर्ता के कब्जे और आनंद में रहने की अनुमति दी गई है, जो कि अन्यथा अप्रयुक्त रहने के लिए है, इसलिए अपीलकर्ता को अपनी घोषणा को फिर से खोलने की मांग करने का अधिकार है जिसमें उसके बेटे तब से मेजर बन गए थे। हरियाणा अधिनियम की धारा 7 और 9 के तहत, अधिशेष भूमि की गणना उनके और उनके तीन बेटों के बीच की जानी थी। हम इस विवाद में कोई ताकत नहीं पाते हैं। पंजाब अधिनियम 31 मानक एकड़ को अधिकतम सीमा क्षेत्र के रूप में निर्धारित करता है, जबकि हरियाणा अधिनियम साढ़े 17 मानक एकड़ को अधिकतम सीमा क्षेत्र के रूप में निर्धारित करता है और खंड 9, अधिशेष भूमि के निर्धारण के तहत अनुमति देता है। यदि कोई बड़ा बेटा अलग रहता था, तो उसकी इकाई की गणना उसके हिस्से के रूप में अलग से की जा सकती थी। उस प्रक्रिया में, अधिशेष भूमि हरियाणा अधिनियम की खंड 9 के तहत समायोजन के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, यह पंजाब अधिनियम के तहत घोषित अधिशेष क्षेत्र को फिर से खोलने और पुनः गणना द्वारा समायोजित करने की अनुमति नहीं देता है। न तो हरियाणा अधिनियम और न ही पंजाब अधिनियम 10 2003 (4) आर. सी. आर. (सिविल) 811 बुधराम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(अमित रावल, जे.)

इसमें ऐसा कोई प्रावधान शामिल है। दूसरी ओर खंड 33 (2) (ii) में यह प्रावधान कि पंजाब अधिनियम के तहत लंबित कार्यवाही 1953 अधिनियम के तहत पूरी की जानी चाहिए और अधिशेष भूमि राज्य में निहित होगी, इसके विपरीत एक स्पष्ट संकेत है। जसवंत में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ

### **कौर बनाम हरियाणा राज्य (ए. आई. आर. 1977 पंजाब और हरियाणा)**

221] हरियाणा अधिनियम की खंड 12 (3) की व्याख्या करते हुए कहा गया कि 23 दिसंबर, 1972 को और उससे अतिरिक्त भूमि राज्य में हरियाणा अधिनियम की खंड 12 (3) के तहत निहित होगी। दूसरे शब्दों में, उस तारीख से हरियाणा राज्य में भूमि सभी बाधाओं से मुक्त हो गई है, जो हरियाणा अधिनियम के तहत किरायेदारों और भूमिहीन मजदूरों को खेती के लिए अधिशेष भूमि के आवंटन के लिए उपलब्ध हो गई है। इस अदालत ने जोधपुर राम में उस फैसले के प्रभाव पर भी विचार किया।

### **(मृत) एल. आर. वी. द्वारा वित्तीय आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़ और अन्य, 1994 (1) आर. आर. 334:[1994 (1) एससीसी**

27] और यह अभिनिर्धारित किया कि खंड 12 के साथ पठित खंड 8 और पंजाब अधिनियम के संचालन द्वारा, केवल 13 जुलाई, 1958 से पहले किए गए किसी भी अलगाव को बचाया गया था और निहित होने की तारीख तक बिना निपटारे वाली भूमि राज्य में निहित रहेगी और अधिशेष भूमि धारक को भूमि में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं है और वह राज्य द्वारा उस भूमि में शामिल किसी भी किरायेदार को बेदखल करने की भी मांग नहीं कर सकता है। इन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि हालांकि अधिशेष भूमि को पिछले भूमि धारक के कब्जे में रहने की अनुमति दी गई थी, लेकिन यह अधिकार 23 दिसंबर, 1972 को और उसके बाद से राज्य में निहित था। इसके अलावा राज्य द्वारा पूर्व भूमिधारक को अधिशेष भूमि का केवल आनंद लेने की अनुमति देने से उसे ऐसी भूमि में किसी भी अधिकार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए, अपीलकर्ता और उसके तीन बेटों, जो बाद में मेजर बने, के बीच नई गणना का सवाल ही नहीं उठता है।”

(20) नियत तिथि पर, भूमि हरियाणा राज्य में निहित थी, संक्षेप में यह नहीं कहा जा सकता है कि भूमि का उपयोग नहीं किया गया था, इसलिए, भूमि मालिक को पुनर्निर्धारण की मांग करने का अधिकार/कारण होगा। भूमि मालिक के अंतहीन लालच/इच्छा पर शासन करना होगा। सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और साथ ही रंजीत राम के मामले (ऊपर) में पूर्ण पीठ

द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव पर भरोसा करने वाले फैसले में लिए गए अनुपात निर्णय पर कोई विवाद नहीं है। पूर्ण पीठ के पास 652 रखने का अवसर था

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि जब तक भूमि स्वामी को अधिशेष क्षेत्र के स्वामित्व से वंचित नहीं किया जाता है, वह अनुमेय क्षेत्र का चयन करने का हकदार है। यहाँ वर्तमान मामले में, अधिशेष क्षेत्र के संबंध में मामला 1995 में समाप्त हो गया। निर्धारित प्राधिकरण, रेवाड़ी ने दिनांक 2 (अनुलग्नक पी-1) के आदेश के माध्यम से उस क्षेत्र का निर्धारण किया, जिसने दिनांक 1 (अनुलग्नक पी-5) के आदेश के माध्यम से इस न्यायालय तक अंतिमता प्राप्त की और उन सभी अधिकारियों ने माना था कि भूमि मालिक को अधिशेष क्षेत्र से अलग कर दिया गया था और ऐसी भूमि हरियाणा आदेश की खंड 12 (3) के प्रावधानों को देखते हुए हरियाणा राज्य में निहित थी, इस प्रकार, मामला 2006 में नहीं उठाया जा सका। इस प्रकार, मेरे विचार में, नीचे दिए गए अधिकारियों, यानी अनुलग्नक पी-6 और पी-7 ने कानून के उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा है और इसलिए, चुनौती के तहत आदेश टिकाऊ नहीं हैं।

(21) अगर मैं ऊपर निर्दिष्ट संलग्नक आर-2 का उल्लेख नहीं करता हूँ तो मैं भ्रम पैदा कर रहा हूँ। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को निर्णय के लिए देखा जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, भूमि राज्य के पक्ष में परिवर्तित हो गई थी और इसलिए, यह इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सख्ती से लागू नहीं होगी।

(22) याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आवंटन, जैसा कि परिलक्षित होता है, को चुनौती नहीं दी गई है। आवंटन स्वयं भूमि के उपयोग का प्रतिबिंब है। प्रतिवादी यह स्थापित करने के लिए किसी भी प्रमाण या दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लाने में समर्थ नहीं हुए हैं कि आवंटन केवल एक कागजी लेनदेन था, संक्षेप में यह कि क्या आवंटनकर्ताओं को उपयोग में लाया गया था या नहीं, लिखित बयान में विशिष्ट कथन की तुलना में, इस प्रकार, दरबारा सिंह के मामले (उपरोक्त) में निकाला गया अनुपात निर्णय लागू नहीं होगा।

(23) परिणामस्वरूप, विवादित आदेश, शक्ति के मनमाने प्रयोग और अधिकार क्षेत्र के बिना स्थायी नहीं होने के कारण, इसके साथ-साथ निर्धारित किए जाते हैं और रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है।



(24) चूंकि विवादित आदेश निर्धारित किए जाते हैं और रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है, इसलिए 2011 के सी. ओ. सी. पी. No.2014 में वाद हेतुक नहीं बचा है। इसलिए, उसी को खारिज कर दिया जाता है।

पायल मेहता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा